भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)

Office Order No. 14 of 2014

Consequent upon the enhancement of the financial powers of General Managers for award of Stores Contracts upto ₹ 75 crores for each tender, the revised powers in respect of Board Members, Hon'ble MOS(R)s and Hon'ble MR shall be as under:-

S.No.	Power of acceptance of Stores Tenders	Accepting authority in Board's Office
1.	Above ₹ 75 crores and upto ₹ 110 crores.	Board Members
2.	Above ₹ 110 crores and upto ₹ 150 crores.	MOS(R)s
3.	Above ₹ 150 crores	MR

1.1 This supersedes Office Order No. 81 of 2007.

2. This issues with the sanction of the President.

No.2014/O&M/5/1
Dated:10/03/2014

(P.C. Gajbhiye)
Secretary, Railway Board

PS/MR, PS/MSR(K) & PS/MSR(A)

All Officers and Branches in Board's Office and at Metro Bhavan, Pragati Maidan.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

2014 का कार्यालय आदेश संख्या 14

प्रत्येक निविदा के लिए ₹ 75 करोड़ तक की भंडार निविदाओं को स्वीकृत करने की महाप्रबंधकों की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाने के परिणामस्वरूप बोर्ड सदस्यों, माननीय रेल राज्य मंत्रियों तथा माननीय रेल मंत्री के संबंध में संशोधित शक्तियां निम्नानुसार होंगी:-

क्रम सं.	**भंडार निविदाओं को स्वीकृत करने की शक्तियां**	**बोर्ड कार्यालय में स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकारी**
1.	₹ 75 करोड़ से अधिक तथा ₹ 110 करोड़ तक	बोर्ड सदस्य
2.	₹ 110 करोड़ से अधिक तथा ₹ 150 करोड़ तक	रेल राज्य मंत्री
3.	₹ 150 करोड़ से अधिक	रेल मंत्री

1.1 इसे 2007 के कार्यालय आदेश सं. 81 के स्थान पर जारी किया जाता है।

2. इसे राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त है।

(पी. सी. गजभिये)
सचिव/रेलवे बोर्ड

सं. 2014/ओ एण्ड एम/5/1
दिनांक: 10 /03/2014

निजी सचिव/रेल मंत्री, निजी सचिव/रेल राज्य मंत्री (के) एवं निजी सचिव/रेल राज्य मंत्री (ए)
बोर्ड कार्यालय तथा मेट्रो भवन, प्रगति मैदान के सभी अधिकारी एवं शाखाएं।